न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2/2022 (बांसवाड़ा डिक्री)

गजीग पिता नुरा, जाति भील, निवासी मुआल, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. कीका पिता नुरा, जाति भील, निवासी मुआल, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़
दिनांक 31.03.2021, प्र.सं. 18/2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री तसलीम अहमद अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 20–02–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 407/1, 409, 410, 411, 417, 498 कुल किता 6 रकबा 17 एकड भूमि ग्राम मुआल में स्थित है, जिसका आपसी बंटवारा होकर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं, किन्तु भूमियां शामलाती दर्ज होने से राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी होती है तथा आपस में विवाद होता है। अतः विवादित आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजस्व मण्डल के निर्धारित मापदण्ड अनुसार 1/2, 1[illegible] हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण [illegible] निर्णय दिनांक [illegible]–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31–03–2021 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वाद द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–01–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अपीलान्ट सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी जनजाति के होने एवं कोरोना महामारी के कारण न्यायालय में नहीं जा सके, जिससे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। तहसीलदार ने विभाजन से पूर्व कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी तथा विभाजन नियमों की अनुपालना में नहीं किया गया है। सिर्फ आराजी नंबर 407, 410, 411 व 498 का विभाजन किया गया है, आराजी नंबर 409 व 417 का विभाजन नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवारा नियमों की पालना करते हुए नियमानुसार विभाजन की डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की प[illegible] [illegible]कार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया। [illegible] संवत् 2067 [illegible]070 अनुसार अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी नंबर 407/1, 409, 410, 411, 417, 498 कुल किता 6 रकबा 17 हैक्टर के सहखातेदार दर्ज होकर दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही विभाजन करते हुए दोनों पक्षों के हिस्से में 8.50 एवं 8.50 हैक्टर भूमि रखते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31–03–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

गजीग पिता नुरा भील, निवासी मुआल तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा — बनाम — कीका पिता नुरा भील, नि. मुआल तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....2/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....कुशलगढ़ ..... मुकाम.....मुवर्खे.....31.....माह.....03.....2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20....माह.....02.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री तसलीम अहमद....मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री जयेन्द्र पुरोहित .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 31–03–2021 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20....माह.....02.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested